

जन्म राजकाय में  
होने से प्रकरण दिनांक 16/8/2023  
को पेश हों।

आज्ञा से




रीडर

16.8.23

घनाबली पेश हुई। दृष्टगत अपील तहसीलदार द्वारा  
द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त जबकि उभावित पक्षकार  
द्वारा प्रस्तुत की गानी-चाद्वि क्ष/ उल्लेखित उक्त नामांतरण  
विवादित नामांतरण की प्रेमी में आता है। जिसका निस्तारण  
तहसीलदार स्वयं द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
की धारा 135(2) के तहत निस्तारण किया जा सकता  
है।

अतः अपील अपीलान्त का लोक्स स्टैंडार्ड नहीं होने से  
खारिज की जाती है। तहसीलदार उभयपक्षों को विधिवत  
नोटिस जारी कर और सुनवाई कर प्रकृष्ट का निस्तारण  
करें। निर्णय सरेइजलास लुनाया गमा। प्रकृष्ट फैजल शुमार  
पेश नम्बर से कम है।



प्रतिभा दास  
DAS

उपखण्ड अधिकारी

गिरवा-उदयपुर